

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, कमठाई

प्रकरण सं.:-87/2018


क्रमांक:-लो.अदा./2018/1162

दिनांक:- 22-5-18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कमठाई व भू.अ.नि. होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कमठाई तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् क्रमशः 2073-2076 में खाता संख्या 76 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	कमठाई	76	316/315	मोडूराम पुत्र लिखमाराम	मोडूराम उर्फ मोडाराम पुत्र लिखमाराम शेष बदुस्तर



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 22-5-18



क्रमांक:-लो.अदा./2018/1163-1165

प्रतिपत्र:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मोडूराम उर्फ मोडाराम पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी कमठाई तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी